UPAD010073002026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 02, प्रयागराज

उपस्थित : अनुराधा पुण्डीर, ... एच0जे0एस0

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2711 / 2026

फैय्याज पुत्र आशिक उर्फ सुरे, निवासी ग्राम अर्जुनपट्टी, थाना हण्डिया, जिला प्रयागराज। .....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... अभियोजन

अपराध सख्या–314 / 2026
धारा 85, 80(2) बी0एन0एस0 व धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना हण्डिया, जनपद इलाहाबाद / प्रयागराज

13.07.2026

1. प्रार्थी / अभियुक्त फैय्याज की ओर से द्वारा अधिवक्ता यह जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रकरण के संबंध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के साथ मो0 इसरार (अभियुक्त का जीजा) का शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो दाखिल है, न विचाराधीन है और न ही निरस्त की गयी हैं।

2. अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मोहम्मद कलीम द्वारा दिनांक 20.06.2026 को संबंधित थाने में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि प्रार्थी की लड़की सायना बेगम की शादी सियाडीह अर्जुनपट्टी में इमरान पुत्र आशिक के साथ सन् 2020 में हुई थी। साइना बेगम के एक लड़का भी है, जब से शादी हुई है, उसके कुछ दिनों के बाद से ससुराल के लोग कभी दहेज को लेकर, कभी फ्लैट को लेकर, आये दिन झगड़ा होता था। प्रार्थी के पास बाम्बे में दो फ्लैट है, प्रार्थी के पास कोई लड़का नही है, दो लड़कियां ही है। इसी फ्लैट को लेकर आये दिन विवाद होता था। हमारी लड़की को पूरा परिवार परेशान करता था। एक सप्ताह पहले हमारी लड़की के साथ झगड़ा लड़ाई किये और मारे। ससुर आशिक, सास जोहरा बेगम, देवर फैय्याज व ननद तमन्ना सब मिलकर उसकी लड़की को प्रताड़ित

करते थे। दिनांक 17.06.2026 को शाम लगभग 7–8 बजे की घटना है, उसकी लड़की को इतना प्रताड़ित किये मारे पीटे। उसे पता चला कि उसकी लड़की ने फांसी लगा ली है और कमरे का दरवाज बन्द था। दरवाजे से सटकर खिड़की है, जो खुली मिली लड़की के शरीर में चोट के निशान मिले। इन दबंगो के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है एवं शान्तिप्रिय एवं सभ्य व कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त मृतका का देवर है तथा उसका भाई इमरान विदेश में रहता है और पैसा कमाता है, इसी कारण उसकी भाभी, भाई पर घर से अलग होकर रहने का दबाव बनाती थी। इसी को देखते हुये उसका भाई परिवार से अलग हो गया और वो लोग अपना अलग खाना–पीना बनाने लगे, उनका परिवार से कोई संबंध नहीं रह गया। प्रार्थी/अभियुक्त को जब से परिवार से अलग किया गया है, तब से वह अपना खर्चा स्वयं उठाता है। मृतका से कभी कोई वास्ता सरोकार नहीं रहा है। मृतका अपने पति को विदेश से वापस आकर साथ में रहने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, इसी कारण दोनों में वाद विवाद भी होता था। जब मृतका का पति विदेश से नहीं आया तो क्रोध में आकर मृतका ने स्वयं आत्म हत्या कर लिया। मृतका के कमरे का दरवाजा पुलिस की मौजूदगी में खोला गया है। प्रार्थी को महज परेशान करने के लिए प्रस्तुत मामले में अभियुक्त बनाया गया है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (दाण्डिक) ने जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुये यह तर्क रखा है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है और रिश्ते में मृतका का देवर है। अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज की मांग करने, इस हेतु उसको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा अन्ततः दहेज मृत्यु कारित करने का साक्ष्य दिया गया है। मामले की विवेचना प्रचलन में है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा वह जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

5. जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है तथा रिश्ते में मृतका का देवर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मामले की मृतका की शादी प्रार्थी/अभियुक्त के भाई इमरान के साथ सन् 2020 में हुई थी। अभियुक्तगण द्वारा शादी के बाद से ही मृतका से अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती थी और इस हेतु उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। अन्ततः दिनांक 17.06.2026 को अभियुक्तगण द्वारा मृतका की दहेज हत्या कर दी गयी। मृतका के पिता/वादी मुकदमा मो0 कलीम, मृतका की मां आयशा बेगम व बड़ी बहन सलमा बेगम ने विवेचक को दिये गये बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका से दहेज मांग करने, इस हेतु मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और अन्ततः उसकी दहेज मृत्यु कारित करने संबंधी कथन प्रस्तुत किये गये है। मृतका की शव विच्छेदन आख्या के अनुसार उसकी मृत्यु का कारण एक्सीफिसीया पाया गया है। मामले की विवेचना प्रचलन में है।

7. उपरोक्त समस्त तथ्यों, एवं परिस्थितियों, को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए इस न्यायालय के मत में अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में जमानत दिए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त फैय्याज की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं. 2711/2026 मु0अ0सं0 314/2026 धारा 85, 80(2) बी0एन0एस0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना हण्डिया, जिला प्रयागराज निरस्त किया जाता है।

(अनुराधा पुण्डीर)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं. 2, प्रयागराज
J.O. Code No. UP01669

दिनांक 13.07.2026

Digitally signed by ANURADHA PUNDIR
Date: 2026.07.17 11:04:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court